सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 810 राँची, गुरुवार, 5 कार्तिक 1938 (श०) / 27 अक्टूबर, 2016 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ।

संकल्प

26 अक्टूबर, 2016

विषय :- झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं उसकी अनुषंगी इकाईयों यथा झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड/झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि०/झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लि० के अंतर्गत 33/11 के०भी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों /220/132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशनों के निर्माण हेतु सरकारी भूमि के निःशुल्क हस्तांतरण एवं हस्तांतरण की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने के संबंध में ।

संख्या-4/स०भू० नीति-163/2016-5692/रा०,-- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-**9293/**रा., दिनांक 15 दिसम्बर, 1964 के द्वारा राज्य विद्युत बोर्ड को व्यवसायिक उपक्रम मानते हुए सशुल्क सरकारी भूमि हस्तांतरित की जाती थी । ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार एवं झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के सफल कार्यान्वयन एवं झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड की भौतिक आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए सरकारी भूमि के निःशुल्क हस्तांतरण हेतु किये गये अनुरोध के आलोक में विद्युत ग्रिड एवं उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु उक्त परिपत्र को राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-

2443/रा., दिनांक 17 जुलाई, 2007 के द्वारा संशोधित करते हुए न्यूनतम सरकारी/खासमहाल भूमि को ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार (झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड) को अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण किया जाता है।

2. उल्लेखनीय है कि दिनांक 6 जनवरी, 2014 के प्रभाव से तत्कालीन झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को विघटित कर झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी इकाईयों यथा झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० एवं झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड का स्वतंत्र इकाईयों के रूप में गठन किया गया है एवं झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के निदेशक पर्षद की बैठक दिनांक 2 नवम्बर, 2015 को झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं उसकी अनुषंगी इकाईयों के अंतर्गत होने वाले संरचनाओं (विद्युत सब-स्टेशनों एवं ग्रिडों) के निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक सरकारी भूमि के निःशुल्क हस्तांतरण किये जाने हेतु झारखण्ड सरकार से अनुरोध किए जाने का निर्णय लिया गया था ।

3. अतः मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 के मद संख्या-**16** में लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं उसकी अनुषंगी इकाईयों यथा झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड/झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड/झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के अंतर्गत **33/11** के०भी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्रो **220/132/33** के०भी०, ग्रिड सब-स्टेशनों के निर्माण हेतु सरकारी भूमि का निःशुल्क हस्तांतरण किया जायेगा ।

4. उक्त कार्य हेतु भूमि के हस्तांतरण के लिये सभी उपायुक्तों को शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है ।

5. मात्र प्रासंगिक मामले में ही प्रभावी राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-**4306/**रा., दिनांक 24 अक्टूबर, 2014 एवं पत्रांक-**3026/**रा., दिनांक 7 अक्टूबर, 2010 को शिथिल किया जाता है ।

6. पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-**2443/**रा., दिनांक 17 जुलाई, 2007 को रद्द किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

धर्मेन्द्र पाण्डेय,
सरकार के अपर सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 810--50 ।